

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 04/08

संस्थापन दिनांक:-02/01/08

फाईलिंग नं. 233504000152008

श्रीमती लीलाबाई पति अनारसिंह  
 उम्र 30 वर्ष, निवासी तहसीलदार की चाल,  
 आमला, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.) ..... **परिवादी**

**वि रु द्ध**

1. अनारसिंह पिता भागीरथ राजपूत, उम्र 50 वर्ष
  2. अमरसिंह पिता भागीरथ, उम्र 55 वर्ष
  3. फूलसिंह पिता भागीरथ, उम्र 52 वर्ष
  4. अनुसुईया पति अनारसिंह, उम्र 38 वर्ष
  5. भंगीबाई पति अमरसिंह, उम्र 45 वर्ष
  6. किरपाबाई पति फूलसिंह, उम्र 46 वर्ष
- सभी निवासी कोटड़ा, तहसील कन्नौद,  
 जिला देवास (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

**—: (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 22.12.2017 को घोषित)**

1 प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 498-ए भा0दं0सं0 एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने करीब 12 वर्ष पूर्व प्रार्थिया लीलाबाई के पति एवं पति के नातेदार होते हुए उसे दहेज की मांग के लिये शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता कारित की एवं प्रार्थिया लीलाबाई से अवैध रूप से दहेज की मांग की। अभियुक्त अनारसिंह के विरुद्ध धारा 494 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय का भी आरोप है कि उसने फरियादी लीलाबाई जो कि उसकी प्रथम पत्नी थी उसके जीवनकाल में दूसरा विवाह किया।

2 परिवाद संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी का विवाह अभियुक्त अनारसिंह से करीब 12 वर्ष पूर्व हिंदू जाति रीति रिवाज के अनुसार हुआ था। विवाह से फरियादी की एक संतान गणेश है। अभियुक्त अनारसिंह से फरियादी के विवाह संबंध कायम रहते हुए अभियुक्तगण ने फरियादी को दहेज के लिए प्रताड़ित एवं परेशान कर मारपीट की तथा दहेज में एक लाख रुपये नगद एवं हिरा होण्डा मोटर सायकिल की मांग की तथा फरियादी को छिनाल, कुतिया,

पागल कहकर मारपीट कर जान से मारने का प्रयास किया। वर्ष 2004 में जब फरियादी गर्भवती थी तब अभियुक्तगण ने फरियादी के साथ गंभीर रूप से लात घुसों से मारपीट की जिससे फरियादी के गर्भ में पल रहा बच्चा पेट में ही मर गया जिससे फरियादी अत्यधिक बीमार एवं कमजोर हो गयी। फरियादी प्रथम पत्नी के रहते हुए भी अभियुक्त अनारसिंह ने अवैध ढंग से ग्राम गठवारा तहसील कन्नौद जिला देवास की से हिंदू जाति रीति रिवाज के अनुसार मण्डप में सात फेरे लेकर अवैध रूप से दूसरा विवाह कर लिया एवं उक्त अवैध विवाह में अन्य अभियुक्तगणों का भी पूर्ण सहयोग था। फरियादी ने अभियुक्तगणों को उक्त दूसरा विवाह करने से मना किया तथा रोकने का प्रयास किया किंतु अभियुक्तगण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उन्होंने धमकाकर साक्षियों का भगा दिया। अभियुक्त अनारसिंह ने फरियादी की बिना किसी विधिक तलाक के दूसरा विवाह किया है। फरियादी ने अभियुक्तगण के विरुद्ध पुलिस थाना आमला एवं थाना प्रभारी कोटड़ा में लिखित शिकायत की थी परंतु अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई। अतः यह परिवाद अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 494, 323, 498-ए, 109 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन प्रस्तुत किया गया है।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्तगण ने करीब 12 वर्ष पूर्व प्रार्थिया लीलाबाई के पति एवं पति के नातेदार होते हुए उसे दहेज की मांग के लिये शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर उसके प्रति क्रूरता कारित की ?
2. क्या अभियुक्तगण ने उक्त समयावधि में प्रार्थिया लीलाबाई से अवैध रूप से दहेज की मांग की ?
3. क्या अभियुक्त अनारसिंह ने फरियादी लीलाबाई जो कि उसकी प्रथम पत्नी थी उसके जीवनकाल में दूसरा विवाह किया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

## ॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

### विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का निराकरण

5 लीलाबाई (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसका विवाह अभियुक्त अनारसिंह से सम्मेलन में वर्ष 2009 में हुआ था। विवाह के बाद वह अपने पति के घर ससुराल कन्नौद खातेगांव गयी थी। ससुराल में अभियुक्त/जेठ फूलसिंग, जेठानी लीला, किरपा, अमरसिंह, भंगी तथा ससुर देवचंद थे। शादी के 2-3 साल तक वह अच्छे से रही। किसी ने भी परेशान नहीं किया परंतु 2-3 साल के बाद अभियुक्तगण उसके साथ मारपीट करते थे और दहेज लेकर आने के लिए बोलते थे। जब वह दूसरी बार गर्भवती थी तब अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट की जिससे उसका बच्चा गिर गया। विवाह के दो-तीन साल बाद अभियुक्तगण ने मारपीट कर उसे घर से भगा दिया। अभियुक्तगण उसे जला डालने और मार डालने की धमकी देते थे और दहेज का सामान और पैसे लेकर आने की धमकी देते थे।

6 लीलाबाई (अ.सा.-1) ने अपने कथनों में यह भी बताया है कि अभियुक्त अनारसिंह ने दूसरा विवाह कर लिया और उसे घर से भगा दिया। अभियुक्त अनारसिंह ने उससे तलाक लिये बिना दूसरी शादी की है और दूसरी पत्नी अनुसुईया को घर ले आया है।

7 लीलाबाई (अ.सा.-1) ने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उसे यह नहीं मालूम है कि जब कोई मारपीट करता है तो उसकी रिपोर्ट थाने में की जाती है। अभियुक्त अनारसिंह का घर गांव से बाहर खेत पर है। खेत गांव के पास में ही है। यदि जोर से आवाज करे तो गांव में सुनायी आ जाता है। यह सही होना बताया है कि अभियुक्त अनारसिंह ने उसे आमला लाकर छोड़ दिया था। स्वतः कहा कि घर से निकाल दिया था। वह अपने भाई के घर हरदा चली गयी थी। उसका भाई पढ़ा लिखा है। उसने मारपीट करने की बात अपने भाई गजेंद्र को बतायी थी। इस सुझाव को सही बताया है कि गजेंद्र उसे हरदा थाना लेकर नहीं गया न ही रिपोर्ट करने की सलाह दी। वह हरदा के किसी भी डॉक्टर के पास ईलाज के लिए नहीं गयी और न ही उसका भाई उसे ईलाज के लिए ले गया। स्वतः कहा उसने आमला में ईलाज कराया था। इस सुझाव को गलत बताया है कि अभियुक्त अनारसिंह उसे अच्छे से रखता था। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि अभियुक्तगण ने उसके साथ मारपीट नहीं की।

8 फरियादी लीलाबाई (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि विवाह के दो तीन

वर्ष तक उसके पति अभियुक्त अनारसिंह एवं अन्य अभियुक्तगण ने कोई मारपीट नहीं की। फरियादी लीलाबाई ने स्वयं अपने कथनों में यह बताया है कि उसने अभियुक्तगण द्वारा मारपीट किये जाने एवं अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग किये जाने के संबंध में कहीं पर कोई रिपोर्ट नहीं की। साक्षी ने यह भी बताया है कि उसने अपने भाई गजेंद्र को भी उक्त कृत्य की जानकारी दी थी परंतु उसके भाई ने भी कहीं कोई रिपोर्ट नहीं की।

9 अभियोजन/परिवादी की ओर से ऐसे भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये हैं कि फरियादी के साथ मारपीट की कोई शिकायत करायी गयी हो या चोट का ईलाज कराया गया हो। फरियादी लीलाबाई (अ.सा.-1) के द्वारा न तो यह बताया गया है कि अभियुक्तगण ने किस दिन उससे दहेज की मांग की, दहेज में क्या-क्या मांग की, कितने रूपयों की मांग की। न ही अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किये जाने पर शादी के दो-तीन वर्ष तक कहीं पर कोई भी शिकायत न की जाना, कोई भी चिकित्सकीय परीक्षण न कराया जाना बताया गया है। साथ ही साक्षी ने अपने कथनों में अभियुक्तगण के विरुद्ध संयुक्त कथन किये हैं। पृथक-पृथक उनके द्वारा किये गये कृत्य को नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में फरियादी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि अभियुक्तगण ने उससे दहेज की मांग की और दहेज की मांग की पूर्ति न होने पर उसे शारीरिक अथवा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

10 लीलाबाई (अ.सा.-1) ने अपने परिवाद पत्र एवं अपने कथनों में यह बताया है कि उसके पति अभियुक्त अनारसिंह ने उससे विधिवत तलाक लिये बिना दूसरा विवाह कर लिया है परंतु इस संबंध में भी परिवादी/अभियोजन की ओर से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे कि यह प्रकट हो कि अभियुक्त अनारसिंह के द्वारा अभियुक्त अनुसुईया से विधिवत रीति रिवाजों के अनुसार विवाह कर लिया गया हो। साथ ही ऐसे किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं करवाया गया है जो कि यह बताये कि अभियुक्त अनारसिंह ने हिंदू रीति रिवाज से अनुसुईया से दूसरा विवाह कर लिया है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **घोष विरुद्ध घोष ए.आई. आर. 1971 एस.सी. 1153** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन पुनः विवाह किया जाना तभी अपराध होगा जब वह आवश्यक धार्मिक रीति जैसे होम, हवन, सप्तपदी आदि के साथ विधि पूर्वक संपन्न किया गया हो। एक अन्य न्याय दृष्टांत **श्याम सुंदर विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य 1991 सप्ली(1) एस.सी.सी. 382** अवलोकनीय है, जिसमें यह अवधारित किया गया है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 के अधीन तभी दोषी होगा जब वह अपने प्रथम विवाह के कायम रहते हुए भी आवश्यक धार्मिक अनुष्ठानों के साथ पुनः विवाह कर लेता है। अभियुक्त द्वारा पुनः विवाह के तथ्य को स्वीकार कर लिया जाना भी द्विविवाह के अपराध का पर्याप्त साक्ष्य नहीं होता है। अतः उपर्युक्त परिस्थितियों में यह भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है कि अभियुक्त अनारसिंह ने प्रथम विवाह के कायम रहते हुए विधिवत धार्मिक अनुष्ठानों के

साथ अपनी धार्मिक रीति रिवाज के अनुरूप दूसरा विवाह किया।

### **विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण**

11 उपरोक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण ने करीब 12 वर्ष पूर्व प्रार्थिया लीलाबाई के पति एवं पति के नातेदार होते हुए उसे दहेज की मांग के लिये शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित कर उसके प्रति क्रूरता कारित की एवं प्रार्थिया लीलाबाई से अवैध रूप से दहेज की मांग की तथा अभियुक्त अनारसिंह ने फरियादी लीलाबाई जो कि उसकी प्रथम पत्नी थी उसके जीवनकाल में दूसरा विवाह किया। निष्कर्षतः अभियुक्तगण अमरसिंह, फूलसिंह, अनुसुईया, भंगीबाई, किरपाबाई को धारा 498-ए भा.दं.सं. एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम तथा अभियुक्त अनारसिंह को 498-ए, 494 भा.दं.सं. एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

12 अभियुक्तगण के जमानत मुचलके 437-ए दं.प्र.सं. हेतु 6 माह के लिए विस्तारित किये जाते हैं। उसके पश्चात स्वतः निरस्त समझे जावेंगे।

13 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)